न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 127/2011
प्रविष्टि दिनांक 16.08.2011

1–धन्नालाल पुत्र भूरा जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 (मृतक)
1/1 बदाम पत्नि धन्ना जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/2 फूला पुत्री धन्ना जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/3 गायत्री पुत्री धन्ना जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/4 नीतू पुत्री धन्ना जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
1/5 चन्द्रप्रकाश पुत्र धन्ना जाति प्रजापत निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
2–अधिशाषी अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग राज.सरकार कार्यालय उपखण्ड उनियारा जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा तहसीलदार उनियारा

उपस्थिति –(1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 02.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 31.01.1979 को खातेदार रामबिलास पुत्र बजरंगलाल वगैरहा कुल 42 खातेदारान के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा कुल भूमि 45 बीघा 6 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1282/2/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा अपीलांट के पिता भूरा पुत्र भेरू जाति कुम्हार (प्रजापत) की खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि है,जिसको अन्य भूमियो मे सम्मिलित करते हुये कुल 45 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 31.01.1979 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलांट के पिता का देहान्त हो जाने के पश्चात अपीलांट लगातार शान्ति पूर्वक बहेसियत उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तहसीलदार ने उक्त भूमि को बिना किसी आधार के एंव बिना किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित वेध आदेश के उक्त नामान्तकरण के जरिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। अपीलांट के पिता को नामान्तकर तस्दीक करने से पूर्व या आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। जमाबंदी सम्वत 2034–2037 मे उक्त भूमि अपीलांट के पिता के नाम दर्ज है,जिसमे उक्त नामान्तकरण का नोट अंकित है। खातेदार को बिना सुने उसकी खातेदारी समाप्त करने का आदेश प्रभावहीन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1282/2/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा की हद तक उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार उनियारा द्वारा दिनांक 31.01.1979 को खातेदार रामबिलास पुत्र बजरंगलाल वगैरहा कुल 42 खातेदारान के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा कुल भूमि 45 बीघा 6 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग राज. के नाम तस्दीक किया गया है। तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त भूमि अवाप्त हो जाने के उपरान्त ही नामान्तकरण की कार्यवाही सम्पादित की गई है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा खातेदार रामबिलास पुत्र बजरंगलाल वगैरहा कुल 42 खातेदारान के स्थान पर नामान्तरकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग राज.के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व और अवाप्ती आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट के पिता को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान की सुनवाई करना आवश्यक है। नामान्तकरण संख्या 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा सार्वजनिक निर्माण विभाग राज0 के नाम किस अवाप्ती आदेश/आदेश से स्वीकार किया गया है। इस संबंध मे सम्पूर्ण पत्रावली मय खातेदारान के नाम सहित मंगवाये जाने बाबत तहसीलदार उनियारा व अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उनियारा को बार–बार लिखे जाने के उपरान्त भी उनके यहां से वांछित पत्रावली प्राप्त नही हुई है और अपीलांट ने अपने अपील मीमो मे लगातार शान्ति पूर्वक बहेसियत उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है का उल्लेख किया है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 919 दिनांक 31.01.1979 वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा खसरा नम्बर 1282/2/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उनियारा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा अवाप्ती आदेश/पत्रावली की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)